बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—::संकल्प::—

पटना—15, दिनांक.........................

श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—701/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 1072 दिनांक 07.05.2003 द्वारा आरोप, प्रपत्र—'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोप, प्रपत्र—'क' की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 3385 दिनांक 05.05.2004 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 16.09.2004) की प्रति संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, बक्सर से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 1948 दिनांक 04.09.2007 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। सम्यक विचारोपरांत मामले की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3976 दिनांक 06.05.2009, द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 344 दिनांक 01.09.2017 द्वारा मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने आदि बहुधा आरोपों को प्रमणित बताया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभगीय पत्रांक 11088 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उन्होंने लिखित अभिकथन (दिनांक 26.09.2017) समर्पित करते हुए आरोपों का प्रतिकार किया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रमाणित आरोपों के बचाव में प्रस्तुत तथ्य पूर्व में भी उनके स्पष्टीकरण में प्राप्त हुए है। जिनकी समीक्षा के उपरांत ही वृहद जाँच का निर्णय लिया गया। इस प्रकार लिखित अभिकथन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर आरोपों की प्रमाणिकता यथावत रही तथा उक्त के आलोक में (I) निन्दन एवं (II) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियाँ पर रोक संबंधी दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक 15141 दिनांक 29.11.2017 द्वारा कंडिका—(II) में अंकित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2647 दिनांक 01.02.2018 से प्राप्त हुई।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—701/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—14 में प्रावधानित शास्ति निम्नवत संसूचित की जाती है :—

(I) निन्दन,

(II) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/—
(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—08/आरोप—01—158/2014 सा0प्र0....2906...../पटना—15, दिनांक 01.3.18....

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—701/11 ,अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—12 एवं 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.2.18
सरकार के अवर सचिव।